

गैर व्यक्तिगत डेटा का पुनर्वलोकन

यह एडटीरयिल 21/03/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Data marketplaces: the next frontier" लेख पर आधारित है। इसमें वर्तमान संदर्भ में गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) के विभिन्न पहलुओं पर चियर कथि गया है, जहाँ स्केलेबल समाधान का सृजन कर और सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में NPD को शामिल करके इसके लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रलिमिस के लिये:

NASSCOM रपोर्ट, [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस \(AI\)](#), गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY), क्रसि गोपालकृष्णन, [राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवरक नीति \(NPD फ्रेमवरक\)](#), [इंडिया अरबन डेटा एक्सचेंज](#)।

मेन्स के लिये:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में गैर व्यक्तिगत डेटा की प्रासंगिकता।

5 दरलियन अमेरिकी डॉलर की अरथव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में डिजिटलीकरण का अत्यंत महत्व है। NASSCOM की एक रपोर्ट के अनुसार, डेटा और [कृत्रिम बुद्धिमत्ता \(AI\)](#) वर्ष 2025 तक भारत के [सकल घरेलू उत्पाद](#) में लगभग 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकते हैं।

सरकारी कार्यों के तीव्र डिजिटलीकरण से नागरिक डेटा उत्पन्न होने की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह डेटा आम तौर पर दो श्रेणियों में आता है- [व्यक्तिगत डेटा](#), जिसमें ऐसी सूचना शामिल होती है जो व्यक्तियों की पहचान कर सकती है और [गैर-व्यक्तिगत डेटा \(NPD\)](#) जिसमें व्यक्तिगत सूचना अपवर्जित रहती है।

अरथव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में NPD में उच्च मूल्ययुक्त एनालिटिक्स एवं AI के अनुप्रयोग से सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छे परिणामों का पूर्वानुमान लगा सकने में मदद मिल सकती है। वे विषय, जहाँ इस तरह की डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि शासन एवं सार्वजनिक कार्यों को बेहतर ढंग से सूचना-संपन्न कर सकती है, उनमें मौसम संबंधी एवं आपदा पूर्वानुमान, अवसंरचना संबंधी क्षमता एवं नागरिक उपयोग-पैटर्न, गतिशीलता (मोबाइली) एवं आवास पैटर्न और रोज़गार के रुझान शामिल हैं।

गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non Personal Data):

परिचय:

- कोई भी डेटा जो व्यक्तिगत डेटा (Personal Data) नहीं है, उसे गैर-व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के संदर्भ में, गैर-व्यक्तिगत डेटा वह डेटा हो सकता है जो कभी भी प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित नहीं हो (जैसे कमीसम या आपूर्ति शृंखला संबंधी डेटा) या ऐसा डेटा जो आरंभ में व्यक्तिगत डेटा था, लेकिन इसे अनामिक या अज्ञात कर दिया गया हो (ऐसी तकनीकों के माध्यम से जो सुनिश्चित करे कि जिन व्यक्तियों से वह डेटा संबंधित है, उनकी पहचान नहीं की जा सकती)।

प्रकार:

- सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Public Non-Personal Data):** सार्वजनिक रूप से वित्तिपोषित कार्यों के दौरान सरकार द्वारा संग्रहित या उत्पन्न किया गया डेटा। उदाहरण के लिये भूमिकिंस्ड या वाहन पंजीकरण के अनामिक डेटा को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा माना जा सकता है।
- सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community Non-Personal Data):** कच्चा या तथ्यात्मक डेटा (बनियां कर्त्ता परसंस्करण के) जो प्राकृतिक व्यक्तियों के समुदाय से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिये नगर नगरों या सार्वजनिक विद्युत उपयोगिताओं द्वारा संग्रहित डेटासेट।
- नजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private Non-Personal Data):** वह डेटा जो नजी संस्थाओं द्वारा नजी स्वामित्व वाली प्रक्रियाओं (व्युत्पन्न अंतर्दृष्टि, एलगोरिदम या स्वामित्वपूरण ज्ञान) के माध्यम से संग्रहित या उत्पन्न किया जाता है।

दायरा/स्कोप:


- NPD सरकार द्वारा प्राप्त प्राथमिक प्रकार का नागरिक डेटा है, जो 'सार्वजनिक हति' (public good) के रूप में सेवा करने की क्षमता

रखता है। तालमेल के नरिमाण और 'स्केलेबल' समाधान तैयार करने के लिये, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में NPD के एकीकरण की वकालत की जा रही है।

■ भारतीय संदर्भ:

- उदाहरण के लिये, [क्रतुरमि बुद्धमितता के लिये राष्ट्रीय रणनीति](#) (National Strategy for Artificial Intelligence) भारत के AI परिस्थितिकी तंत्र के भीतर सीमित डेटा पहुँच की बाधा को दूर करने के साधन के रूप में 'सार्वजनिक भलाई' के लिये कुछ प्रकार के सरकारी डेटा को उपलब्ध कराने और नियमों के लिये एकत्रित डेटा की साझेदारी को अनविवार्य करने का विचार रखती है।
 - वर्ष 2018-2019 के भारतीय आरथिक सरकैषण ने डेटा की तुलना एक प्राकृतिक संसाधन से की और कहा कि विकासित डेटा, एक बार अनामिक हो जाने पर, एक 'सार्वजनिक हति' बन जाता है जिसका उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये किया जाना चाहयि।
 - इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फरेमवर्क नीतिजारी की, जिसे डेटा-संचालन शासन को अधिकृतम करने के लिये डिजिटल स्थापत्य के पहले 'बलिडिं ब्लॉक' के रूप में देखा गया।
 - इसमें 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' के अंतर्गत एक 'इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (IDMO)' की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो नीतितैयार करने, प्रबंधन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा और इसमें संशोधन लाने के लिये ज़मिमेदार होगा।





Contains characteristics of a person used to identify them

Data related to finance, health, political beliefs, sexual orientation, caste-tribe, biometric, intersex, transgender, religious affiliations

'Non-personal data' is usually any set of data that does not contain personally identifiable information

It also includes dataset which was personal data earlier but now are "Anonymized"

गैर-व्यक्तिगत डेटा से संबद्ध वभिन्न चतिएँ:

- संलग्न संवेदनशीलता के मुद्दे:
 - व्यक्तिगत डेटा—जिसमें कसी व्यक्ति के नाम, आयु, लगि, यौन अभिन्नियास, बायोमीट्रिक्स और अन्य आनुवंशिक विवरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है—के विपरीत गैर-व्यक्तिगत डेटा के अनामकि रूप में होने की अधिक संभावना होती है।
 - हालाँकि कुछ श्रेणियों में, जैसे किराष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिकि हतियों से संबंधित डेटा (जैसे किसिरकारी प्रयोगशालाओं या अनुसंधान सुविधाओं के स्थान), भले ही अनामकि रूप में प्रदान किया गया हो, खतरनाक सदिध हो सकता है।
 - इसी तरह, भले ही डेटा कसी समुदाय या समुदायों के समूह के स्वास्थ्य के बारे में हो, भले ही वह अनामकि रूप में हो, फरि भी यह खतरनाक सदिध हो सकता है।
- प्रभावी वनियमन का अभाव:
 - दुरभाव्य से, व्यक्तिगत डेटा के विपरीत, NPD के लिये वनियमन का घोर अभाव है। इसके लिये शासन नीतियाँ बनाने के लिये कार्यकारी स्तर पर बहुत कम प्रयास किये गए हैं।
 - ‘गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढाँचे’ पर विशेषज्ञ समतिकी रपिरेट’ ने प्रभावी वनियमन की कमी पर प्रकाश डाला और भारत में व्यक्तिगत डेटा की तरज पर गैर-व्यक्तिगत डेटा के भी प्रभावी वनियमन की तात्कालिकिता पर बल दिया।
 - विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रशासन ढाँचे के अंतमि मसोदे में सभी प्रतिभागियों—जैसे डेटा प्रसिपिल, डेटा कस्टडियन और डेटा ट्रस्टी की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया जाना चाहयि।
- बगि टेक को अनुचित लाभ:
 - वर्ष 2020 में इंफोसिस के सह-संस्थापक करसिं गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक सरकारी सपतिने सुझाव दिया है कि देश में सूजिति गैर-व्यक्तिगत डेटा को वभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा उपयोग करने की अनुमतिदी जानी चाहयि, जो गंभीर चतिएँ उत्पन्न करती हैं:
 - ये डेटा सेट बगि टेक या बड़ी तकनीकी कंपनियों के पक्ष में अत्यधिक द्युके होंगे। केवल बगि टेक कंपनियों के पास ही इतनी बड़ी मात्रा में डेटा सृजन के लिये पूंजी एवं अवसंरचना होती है। अन्य के लिये इन प्रौद्योगिकी दिग्गजों की क्षमताओं से मुकाबला करना कठिन होगा।
- मशिरति डेटासेट से संबद्ध मुद्दे:
 - मशिरति डेटासेट (जिसमें व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों डेटा शामिल होते हैं) की वास्तविकता और इनमें दोनों तरह के डेटा के बीच अपरहित और अवरलैप’ का अरथ है कि एक स्पष्ट सीमांकन संभव नहीं है।
 - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधनियम 2023** की भाषा यूरोप में **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)** के अनुपयोग की तरह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा मानकों के दायरे में आने वाले मशिरति डेटासेट की ओर इशारा करती है।
 - हालाँकि डेटा का गैर-मानवीय और गैर-व्यक्तिगत होना संभव हो सकता है, लेकनि जब डेटा कसी व्यक्तिसे प्राप्त किया जाता है तो यह अंतर अस्पष्ट हो जाता है, विशेष रूप से यदि अनामकिता की चुनौतियों पर विचार किया जाए।
 - यह मुद्दा GDPR ढाँचे के भीतर भी विवाद का विषय रहा है, लेकनि प्रतीत होता है कि प्रस्तावित विधिकि ढाँचे में इसे नज़रअंदाज किया गया है, जो DPDP अधनियम 2023 में मौजूद अनवित्रय डेटा साझाकरण को देखते हुए चतिजनक है।
- NFD के प्रभावी उपयोग का अभाव:
 - उपर्युक्त कानूनों में से कोई भी (DPDP अधनियम 2023 और NPD ढाँचा) भारत में NPD के लिये एक प्रवरतनीय व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। इसी कारण NPD के विशाल भंडार अनियमित हैं और अपने प्रसार, उपयोग या वनियम में केवल सीमित मार्गदर्शन द्वारा समर्थित हैं।
 - इस तरह के डी-साइलो (de-siloed) संचय के परणिमस्वरूप उप-इष्टतम कानूनी एवं नीतिगत नियमिय की स्थितिबनती है और कषेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानक से नीचे की रणनीतियों उत्पन्न होती हैं।
- वभिगों के बीच असुरक्षित अंतरप्रवाह:
 - सरकारी वभिगों, तीसरे पक्षों (third-parties) और नागरकिं के बीच NPD का असुरक्षित अंतरप्रवाह गोपनीयता उल्लंघनों के कारण NPD के संवेदनशील पहलुओं को असुरक्षित बना सकता है। इससे बगि टेक जैसे क्षमतावान अभिकर्ताओं को अनुचित लाभ प्राप्त हो सकता है।
 - महत्वपूर्ण सार्वजनिक रुझानों के अपूरण विशेषण के परणिमस्वरूप दोषपूरण नियम उत्पन्न हो सकते हैं। डेटा का ऐसा आदान-प्रदान अक्षमता भी रखता है क्योंकि यह अंतःविषयक विधियों और नीति-नियमण की शक्तिको ‘अनलॉक’ करने या इसका अवसर उठा सकने में वफिल रहता है।
- NPD ढाँचे से जुड़े मुद्दे:
 - एक अगरणी कदम के रूप में NPD ढाँचा कई कमयों भी प्रदरशित करता है। यह NPD प्रशासन के लिये अमूरत उच्च-स्तरीय सदिधांतों और उद्देश्यों को तैयार करता है लेकनि उन्हें प्राप्त करने के लिये ठोस, कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन का अभाव पाया जाता है।
 - जबकि इस विषय में विधिन की अपेक्षा की जाती है, व्यावहारिक संचालन की उपेक्षा की जाती है, जिससे सभी क्षेत्रों में हतिधारक अधिकारों और दायित्वों के बारे में आवश्यक प्रश्न अनुत्तरति रह जाते हैं।
 - इसके अतरिकित, डेटा के मूल्य नियमण के तंत्र और डेटा वनियम के लिये उपर्युक्त कानूनी संरचनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मानकीकृत शासन उपकरणों की अनुपस्थिति इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है।

NFD का प्रभावी लाभ उठा सकने के लिये कौन-से उपाय करने की आवश्यकता है?

- NPD ढाँचे का गंभीर मूल्यांकन करना:
 - मौजूदा कमयों को संबोधित करने के लिये NPD ढाँचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना लाभप्रद होगा। यह NPD को वनियमित करने के

लिये MeITY' के प्रयास को पूरकता प्रदान करेगा और NPD को सभी क्षेत्रों में इंटर-ऑपरेबल बनाने के लिये उपयुक्त माध्यम के रूप में डेटा वनिमिय के नरिमाण में मदद करेगा ।

- भारत में डेटा वनिमिय के लिये एक नविमक डिजिल का नरिमाण कर सार्वजनिक कल्याण कार्यों को काफी हद तक डिजिटल एवं स्वचालित किया जा सकता है । यह प्रशासनिक बोझ को कम करता है, अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण की सुविधा देता है, NPD के उपयोग/साझेदारी के लिये सुरक्षा उपाय का नरिमाण करता और नागरिक कार्यों के डिजिटलीकरण को प्रकृतार्थी अधिक भागीदारीपूरण बनाता है ।

- **डेटा वनिमिय के शासन के लिये ब्लूप्रिटि तैयार करना:**

- डेटा वनिमिय स्केलेबल पारितात्र हैं जो कई हतिधारकों को प्रेरित करते हैं । यह उन्हें परिणाम-उन्मुख नरिमाण लेने के लिये उन्नत विश्लेषण तैयार करने के लिये एक उत्तर भूमिकाता है और 'इकोनॉमिक ऑफ स्केल' हासिल करने में मदद करता है ।
- भारत में तेलंगाना ने एक कृषि डेटा एक्सचेंज का नरिमाण किया है और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी में इंडियन अरबन डेटा एक्सचेंज की स्थापना की है ।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी **राष्ट्रीय भू-स्थानकी नीति** के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिये डेटा एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बना रहा है ।

- डेटा वनिमिय संरचनाओं में बढ़ती रुचिके साथ, भारत में उन्हें नरिमाणित करने के लिये एक ब्लूप्रिटि विकसित करना महत्वपूर्ण है । यह प्रगति डेटा वनिमियों को वनिमयित करने पर वैश्वकि चर्चाओं के अनुरूप होगी और भारत में गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) को नरिमाणित करने में MeITY एवं अन्य निकियों के प्रयासों का समर्थन करेगी ।


- **यूरोपीय संघ (EU) से प्राप्त सबक:**

- वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ में गैर-व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह के लिये एक वनिमयन ढाँचा लेकर आया, जसिमें उसने सुझाव दिया कि डेटा साझाकरण के मामले में सदस्य देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे ।
- यूरोपीय संघ ने तब नरिमाण लिया था कि ऐसे डेटा को बना कर्सी बाधा के सदस्य राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्सी भी मसौदा अधिनियम के बारे में यूरोपीय आयोग को सूचित करना होगा जो एक नई डेटा स्थानीयकरण आवश्यकता पेश करता है या मौजूदा डेटा स्थानीयकरण आवश्यकता में परविरत्तन करता है ।

विशेषज्ञ समतिकी सफिरशिं:

- NPD से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिये MeITY द्वारा गठित विशेषज्ञ समतिने जुलाई 2020 में अपनी रपोर्ट प्रस्तुत की है में समतिने निम्नलिखित सफिरशिं की:

 - **NPD शासन ढाँचे में भूमिकाएँ तय करना:** डेटा प्रिसिपल (data principal) वह इकाई है जसिसे गैर-व्यक्तिगत डेटा संबंधित होता है । यह इकाई कोई व्यक्ति, समुदाय या एक कंपनी हो सकती है । डेटा प्रिसिपल एक प्रतिनिधि इकाई, जसे डेटा ट्रस्टी कहा जाता है, के माध्यम से अपने डेटा पर अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं ।
 - समतिने देश में व्यवसाय की एक नई शरणी के रूप में 'डेटा बजिनेस' स्थापित करने की सफिरशि की । वे संस्थाएँ (सरकारी एजेंसियों सहित) जो एक सीमा (नविमक द्वारा नरिमाणित) से परे डेटा संग्रहित, संसाधित करती हैं, उन्हें डेटा व्यवसायों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।



- **गैर-व्यक्तिगत डेटा प्राधिकरण:**
 - गैर-व्यक्तिगत डेटा के प्रशासन के लिये रूपरेखा तैयार करने के लिये एक नियमित प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। इसमें डेटा शासन और प्रौद्योगिकी जैसे कषेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
 - प्राधिकरण डेटा साझेकरण और गैर-व्यक्तिगत डेटा से जुड़े जोखिमों के संबंध में दशानिश्चय तैयार करने के लिये ज़मिमेदार होगा।
- **गैर-व्यक्तिगत डेटा की साझेदारी:**
 - कोई भी इकाई निम्नलिखित मामलों में डेटा साझेदारी का अनुरोध कर सकती है: (i) संपर्भु उद्देश्य (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या कानूनी आवश्यकताएँ), (ii) सार्वजनिक हति उद्देश्य (नीति/नियमित या सेवाओं की बेहतर आपूर्ति), या (iii) आर्थिक उद्देश्य (समान अवसर प्रदान करने या मौद्रिक प्रतिफिल प्रदान करने के लिये)।
 - समतिने सफिारशि की है कि सार्वजनिक डेटा, सामुदायिक डेटा या नजी डेटा (एक नजी संस्था द्वारा एकत्र किये गए कच्चे/तथ्यात्मक डेटा तक सीमित) का अनुरोध बना कर्सी प्रतिफिल (remuneration) के किया जा सकता है।
- **NPD के ऊपर समुदाय के अधिकार:**
 - समतिने माना कि एक समुदाय गैर-व्यक्तिगत डेटा के ऊपर अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह समुदाय को ऐसे लोगों के समूह के रूप में प्रभाषित करता है जो समान हतियों एवं उद्देश्यों से बंधे हैं और सामाजिक या आर्थिक संबंधों में शामिल हैं।
 - समुदाय एक भौगोलिक समुदाय या पूर्णतः आभासी (वरचुअल) समुदाय हो सकता है।
- **डेटा कस्टडियन और डेटा प्रोसेसर:**
 - डेटा कस्टडियन एक सार्वजनिक या नजी इकाई है जो डेटा का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं उपयोग करती है। डेटा कस्टडियन के पास संबंधित समुदाय की हानिको कम करने का करतवय होगा।
 - डेटा प्रोसेसर को एक ऐसी कंपनी के रूप में प्रभाषित किया जाता है जो डेटा कस्टडियन की ओर से गैर-व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करता है। ढाँचे के तहत डेटा प्रोसेसर को डेटा कस्टडियन नहीं माना जाएगा।

निषिकरण:

जबकि NPD 'सार्वजनिक हति' के रूप में आशाजनक है और सार्वजनिक सेवाओं को उन्नत बना सकता है, इसकी अनियमित स्थितिकुछ संस्थाओं के लिये अनामिकता एवं अनुचरता लाभ के रूप में जोखिम पैदा करती है। राष्ट्रीय डेटा शासन ढाँचा नीतिस्थिति वर्तमान शासन ढाँचे में प्रवरतनीयता और परिवर्तन स्पष्टता का अभाव है, जिससे NPD काफी हद तक अनियमित है तथा इसके संभावित लाभों में बाधा आ रही है।

इन चुनौतियों का समाधान करने और NPD की क्षमता का लाभ उठाने के लिये, डेटा वनिमियों के लिये एक व्यापक नियामक डिज़िल आवश्यक है। भारत डेटा वनिमियों को नियंत्रित करने के लिये एक ब्लूपरटि तैयार कर सावजनिक-कल्याण कार्यों के डिजिटलीकरण को बहतर बना सकता है।

अभ्यास प्रश्न: गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) को परभाषित कीजिये और डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या कीजिये।

डेटा के वनियमन और रखरखाव से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संविधान के कसी अनुच्छेद के तहत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरकि भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा उपर्युक्त वाक्य को सही एवं उचित रूप से लागू करता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के निश्चिक सदिधांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

प्रश्न:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नियम के आलोक में मूल अधिकारों के दायरे की जाँच कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/recalibrating-non-personal-data>